उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय, 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।

परिपत्र सं0– 24 /वसूली/2024–25 दिनांक– 31-12-2024

समस्त शाखा प्रबन्धक/वरि0प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः मृतक ऋणी सदस्यों हेतु लागू "ऋण मोचन योजना 2024" का **31 मार्च, 2025** तक के लिए विस्तार।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी–18/वसूली/2024–25 दिनांक 01.10.24 द्वारा मृतक ऋणी सदस्यों को ब्याज में छूट प्रदान कर उन्हें राहत पहुँचाने के उद्देश्य से बैंक में **"मृतक ऋणी सदस्यों हेतु "ऋण मोचन योजना–2024"** लागू की गयी है, जिसकी अवधि दिनॉक 31.12.2024 को समाप्त होने के दृष्टिगत योजना के लाभ से वंचित रह गये पात्र कृषक के वारिसानों/हितधारकों को योजना से शत–प्रतिशत लाभान्वित किये जाने के दृष्टिगत "मृतक ऋणी सदस्यों हेतु लागू "ऋण मोचन योजना–2024' को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाये जाने हेतु आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 से अनुरोध किया गया था।

प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश सं0–763/49–01–24–06(32)/13टीसी–II सहकारिता अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 31 दिसम्बर 2024 द्वारा **"मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना–2024 को पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनॉक 31 मार्च, 2025 तक** विस्तारित किये जाने की औपचारिक सहमति प्रदान की गयी है, जिस पर आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 कार्यालय के पत्र सं0 3358/अधि0–1 लखनऊ, दिनांक दिसम्बर 31, 2024 द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

सन्दर्भित योजना को दिनॉक 31.03.2025 तक विस्तारित किये जाने की औपचारिक सहमति इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी है कि शासनादेश सं0–575/49–1–24–6(32)/13टीसी–II सहकारिता अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 01 अक्टूबर 2024 में निर्गत शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

अतः उक्तानुसार प्राप्त स्वीकृति के कम में बैंक परिपत्र सं0 सी–18/वसूली/2024–25 दिनांक 01.10.24 द्वारा **बैंक में लागू मृतक ऋणी सदस्यों हेतु 'ऋण मोचन योजना–2024'** का विस्तार शासनादेश सं0–575/49–1–24–6(32)/13टीसी–II सहकारिता अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 में उल्लिखित शर्ते एवं प्रतिबन्धों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च 2025 तक के लिये किया जाता है। उक्तानुसार अल्प अवधि हेतु प्रदान की गयी स्वीकृति के दृष्टिगत योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करके अधिकाधिक मृतक बकायेदार कृषकों के वारिसानों/हितधारकों को योजना से लाभान्वित करते हुए बैंक की वसूली में अपेक्षित वृद्धि लाना सुनिश्चित करें।

(शशि रंजन कुमार राव)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिकारीगण उ0प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ।
3. समस्त जनपदीय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।
8. आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश को सादर अवलोकनार्थ।
9. प्रमुख सचिव सहकारिता, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
10. मा0 सभापति, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक

Scanned with OKEN Scanner